ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा क लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 09/2005 से 03/2014

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी डलहौजी की परिवहन से सम्बन्धित निधियों के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री संदीप कमल एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक श्री पंकज भ्रारिया द्वारा दिनाँक 20.10.2014 से 29.10.14 के दौरान डलहौजी में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित 1973) के अन्तर्गत दिनाँक 13.06.2005 को पंजीकरण संख्या 3/चम्बा/2005 के अन्तर्गत हुआ एवं इसी पंजीकरण के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स डलहौजी (आर0एल0ए0) में कार्य प्रारम्भ हुआ।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	4	राजकीय कोष में राशि कम जमा करना	0.65
2	10	भुगतान की गई राशि की पावती प्राप्त न करना	11.04
3	12	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए सामग्री का क्रय करना	0.64

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान (आर0एल0ए0) डलहौजी में निम्नविवरणानुसार अधिकारियों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	कार्य की अवधि
1	श्री डी0सी0 राणा, (एच0ए0एस0)	09.08.04 से 13.04.07
2	श्री शुभकरण सिंह, (एच0ए0एस0)	17.04.07 से 08.11.10
3	डा0 मधु चौधरी, (एच0ए0एस0)	08.11.10 से 08.08.12
4	श्री एस0के0 धीमान (एच0ए0एस0)	28.08.12 से 21.01.14
5	श्री मलोक सिंह, (एच0ए0एस0)	21.01.14 से 31.03.14

इस अंकेक्षण हेतु आय–व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गयाः–

वर्ष	2005–0	2006–0	2007–0	2008–0	2009–1	2010–1	2011–1	2012–1	2013–1

	6	7	8	9	0	1	2	3	4
आय	7/05	3/07	4/07	7/08	3/10	9/10	4/11	1/13	11/13
व्यय	8/05	5/06	10/07	11/08	6/09	11/10	11/11	7/12	3/14

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी डलहौजी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त सोसाईटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के फलस्वरूप पाई गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी डलहौजी के अवधि 09/05 से 03/14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर ₹8800/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 430 दिनाँक 29.10.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹8800/– का बैंक ड्राफ्ट संख्या 563817 दिनाँक 30.10.14 पंजाब नैशनल बैंक, डलहौजी से बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(आर0एल0ए0) डलहौजी की अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** में भी दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2005–06	24610	217395	3841	245846	145946	99900
2006–07	99900	126990	–	226890	115605	111285
2007–08	111285	173560	–	284845	248820	36025
2008–09	36025	186575	–	222600	213167	9433
2009–10	9433	226444	5977	241854	138471	103383
2010–11	103383	241145	2068	346596	302600	43996
2011–12	43996	194280	1516	239792	109565	130227
2012–13	130227	187750	1739	319716	282381	37335
2013–14	37335	423550	9249	470134	391699	78435
दिनाँक 31.03.14 को रोकड़ बही का शेष						**₹78435**

दिनाँक 31.03.14 को बैंक में शेष (खाता संख्या 99271302700985, हिमाचल ग्रामीण बैंक, डलहौजी)	₹90119
अन्तर	₹11684

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.14

Particulars	Debit
Balance as per Cash Book	**78435**
Add (i)Cheque No. 909692 issued on 29.03.14 to M/S Styam impacreation Dalhousie but encashed on 17.05.14	2500
Add (ii) Cheque No. 909693 issued on 29.03.14 to M/S Shama Book Seller, Dalhousie but encashed on 03.04.14, `9184	9184
Balance as per Pass Book	**90119**

नोटः– ई–गवर्नेन्स (आर0एल0ए0) डलहौजी की उपरोक्त वित्तीय स्थिति में माह 04/2011 तक Land Deed एवं E-Parman से प्राप्त आय भी जमा है।

4 राजकीय कोष में ₹65188/– कम जमा करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ0 (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के पैरा 3 (ए) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25**%** भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षणाधीन अवधि 09/2005 से 03/2014 के दौरान (आर0एल0ए0) डलहौजी द्वारा सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹1354404/– की वसूली की गई थी जिसका 25**%** भाग ₹338601/– राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष	सेवा शुल्क से प्राप्त आय (आर0एल0ए0)	राजकीय कोष में जमा योग्य राशि
2005–06	82150	20538
2006–07	72500	18125
2007–08	106870	26717
2008–09	123005	30751
2009–10	142364	35591
2010–11	151635	37909
2011–12	184580	46145
2012–13	187750	46938
2013–14	303550	75887
योग	**1354404**	**338601**

परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार केवल ₹273413/– ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई थी।

क्र0सं0	चालान संख्या	राशि
1	Challan No. 26 Dated 05.07.13	218939
2	Challan No. 8 Dated 06.02.14	39663
3	Challan No. –Cheque No. 909690 dated 11.03.14	14811
	कुल राशि	**₹273413**

इस प्रकार राजकीय कोष में (₹338601–₹273413=₹65188) कम करवाई गई थी। अतः राजकीय कोष में ₹65188/– कम जमा करने बार स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अविलम्ब इस राशि को राजकीय कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में भी नियमानुसार नियमित रूप में राजकीय कोष में निर्धारित राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त राशि राजकीय कोष में Head 1055-Road Transport, 800-other receipts में जमा करवाई गई थी जबकि Directorate of Transport के पत्र संख्या 7-1(189)/2011, दिनाँक 17.11.11 के अनुसार उपरोक्त राशि Head 0041-Taxes on vehicle 800-other Receipt 02-Misc Receipt में जमा की जानी अपेक्षित थी। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त राशि को भी उचित Head of Account में हस्तांतरित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों के अनुसार राशि राजकीय कोष के उचित Head of Account में ही जमा करनी सुनिश्चित की जाए।

5 राजकीय कोष में जमा करवाई गई ₹14811/– के चालान प्रस्तुत न करने बारेः–

जाँच में पाया कि चैक संख्या 909690 दिनाँक 11.03.14 द्वारा ₹14811 राजकीय कोष में जमा के रूप में दर्शाई गई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान इस राशि के चालान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे इस भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त चालान को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6 सेवा शुल्क (User Charges) की ₹300/– को बैंक में जमा न करने बारेः–

(i) चयनित माह 03/07 की आय की जाँच करने पर पाया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार सेवा शुल्क के रूप में राशि वसूली गई थी लेकिन यह राशि सम्बन्धित बैंक खाते में जमा नहीं की गई थीः–

क्र0सं0	**रसीद संख्या**	**रसीद प्राप्कर्ता का नाम**	**वसूली गई राशि**
1	R.No. Dal 2545 Dated 14.03.07	श्री जोगिन्द्र सिंह	100
2	R.No. Dal 2552 dated 15.03.07	श्री मन्जीत सिंह	50
3	R.No. Dal 2555 dated 15.03.07	श्री पवन कुमार	50
		कुल राशि	**₹200**

(ii) इसके अतिरिक्त दिनाँक 05.02.08 को रसीद संख्या 2412 तथा रसीद संख्या 3904 से 3908 द्वारा सेवा शुल्क के रूप में ₹240/– की वसूली की गई थी, जबकि (आर0एल0ए0) के खाते में केवल ₹140/– जमा किये गये थे, अर्थात ₹100/– कम जमा करवाई गई थी।

अतः उपरोक्त कम जमा करवाई गई (₹200+₹100=₹300/–) बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 दिनाँक 12.09.08 को आरम्भिक शेष में ₹1800/– कम लेने के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनाँक 11.09.08 को (आर0एल0ए0) की रोकड़ बही में अन्तिम शेष ₹59715/– थी, जबकि दिनाँक 12.09.08 को आरम्भिक शेष के रूप में ₹57915/– दर्शाई गई थी अर्थात रोकड़ बही में आरम्भिक शेष में ₹1800/– कम ली गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि इसका समायोजन सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करके किया गया था। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

8 नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹2500/– की रसीद को रद्द करने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) डलहौजी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹2500/– की रसीद को नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना रद्द किया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं था।

रसीद संख्या	दिनाँक	प्राप्तकर्ता का नाम	विवरण	राशि
R.No. AB 3024	15.07.08	Sh. Ranbir Singh	Tax from 1.7.98 to 30.6.13	2000
			Registration of LMV	200
			Passing fee for 4 wheeler	200
			Service Charges	100
			योग	**₹2500**

अतः उक्त रसीद को रद्द करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं उपरोक्त रसीद को रदद करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में रसीदों को नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार करना सुनिश्चित कया जाए।

9 रसीदों को उपलब्ध न करवाने बारे:–

चयनित माहों में प्राप्त राशि से सम्बन्धित निम्नलिखित रसीदें अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे आय की सम्पूर्ण जाँच नहीं हो सकी। अतः इन रसीदों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	चयनित माह	रसीद संख्या
1	2006–07	03/07	R.No. DL 498 to 507, R.No. 311 to 313 dated 07.03.07
2	2007–08	04/07	R.No. 314 to 322 dated 11.04.07 ₹900
3	2013–14	11/13	DAL 18591 to DAL 19085

10 भुगतान की गई ₹1104622/– की पावती प्राप्त न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) डलहौजी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹1104622/– का भुगतान अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा को कुल सेवा शुल्क के 50**%** भाग के रूप में किया गया था, परन्तु भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित रसीदें अभिलेख हेतु प्राप्त नहीं की गई जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान से सम्बन्धित रसीदें प्राप्त करनो सुनिश्चित की जाए।

भुगतान की तिथि	चैक संख्या/दिनाँक	अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी को किया गया भुगतान
08.05.07	चैक संख्या 22644 dt. 8.5.07	100000
11.09.07	022646 dated 11.09.07	70000
29.02.08	0661083 dated 02.02.08	50000
04.06.08	0661086 dated 3.06.08	50000
18.11.08	0661089 dt. 18.11.08	60000
18.03.09	0661094 dt. 16.03.09	65000
16.07.09	0661097 dt. 16.07.09	50000
24.11.09	0661101 dt. 24.11.09	60000
01.04.10	0661104 dt. 01.04.10	100000
10.08.10	0661106 dt. 10.08.10	90000
17.01.11	0661109 dt. 15.01.11	80000
13.07.11	0661112 dt. 13.07.11	85000
18.06.12	0661117 dt. 14.06.12	140000
13.01.14	909686 dt. 03.01.14	75000
11.03.14	909689 dt. 07.03.14	29622
	योग	**₹1104622**

11 भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

चयनित माहों में किए गये व्ययों की जाँच के दौरान पाया कि निम्नलिखित भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये जिनके अभाव में इन भुगतानों की सत्यता की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाये अन्यथा भुगतान की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खातों में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	चयनित माह	भुगतान का विवरण	राशि
1	12/05	M/S Jagdambe Statinary	765
2	12/05	City Centre Pathankot	7100
3	12/05	Global Computer, Amritsar	1975
4	12/05	D.C. Khanna & Sons, Dalhousie	331
5	12/05	Narain Dass Chowkidar Bachat Bhawan Dalhousie	5145
6	07/2012	Bill No. CS/5797 dated 05.04.12 M/S Computeach System, Palampur	6426

12 बिना निविदाएं आमन्त्रित किए ₹64764/– की सामग्री का क्रय करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक तथा इससे पूर्व ₹1000/– से अधिक की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित करनी अनिवार्य थी, परन्तु जाँच के दौरान पाया कि निम्नविवरणानपुसार सामग्री का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए किया गया था जोकि उपरोक्त वर्णित नियमों के विपरीत है। यदि इस सामग्री का क्रय निविदाएं आमन्त्रित करके किया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	माह	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	11/08	Bill no. 083 dt. 31.03.08 M/S Manish Graphics Dalhousioe	Stationary Material	9040
2	11/08	Bill No. 106 dt. 10.07.08 M/S Manish Graphics Dalhouisie	Stationary and cartridge	11026
3	06/09	Bill No. 35 dt. 27.04.09 M/S Manish Graphics Dalhousie	Stationary Material	8800
4	11/10	Bill No. 002 dt. 16.10.10 M/S Manish Graphics Dalhousie	Stationary & Cartridge	9120
5	11/11	Bill No. CS/4700 Dt. 30.07.11 M/S Computech System,	4 Nos HP ink Cartridge @ ₹1488 each 5952	6250

		Palampur	Vat 298	
6	11/11	Bill No. CS/4751 dated 14.09.11 M/S Computech System Palampur	2 Nos HP Toner CB 436 A @₹3000 each= 6000 Vat 300	6300
7	05/06	Bill No. Nil dt. 24.02.06 M/S Manish Graphics Dalhousie	2000 Nos Poster @ ₹3.75 each	7500
8	10/07	Bill No. 683 dt. 24.08.07 M/S Badyal infotech Chamba	Cable Net work system	3328
9	10/07	Bill No. 30 dt. 20.04.07 M/S Manish Graphics Dalhousie	Toner Laser Jet 1010	3400
			योग	**₹64764**

इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान की गई राशि की वास्तविक भुगतान रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अब अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में प्रत्येक भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक रसीदें यथासमय पर प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाये।

13 क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने बारेः–

चयनित माहों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में क्रय हेतु किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब प्रत्येक सामग्री के क्रय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	माह	फर्म का नाम/बिल सं0	सामग्री का विवरण	राशि
1	03/14	Bill No. 187 dated 01.02.14 M/S Satyam Infracreation, Dalhousie	Head 36A Innev	550
2	-do-	Bill No. 191 Dt. 07.03.14 M/s satyam infracreation, Dalhousie	Refiel of Tonner	550
3	-do-	Bill No. 190 dt. 07.03.14 M/S Satyam Infra-creation, Dalhousie	Refiel of Tonner	550
4	-do-	Bill No. 192 dt. Nil M/S Styam Infra Creation Dalhousie	Repair of HP 1200	850
5	-do-	Bill No. 271 dt. 30.09.13 M/S Sharma Book Seller, Dalhousie	Stationary	1550
6	03/14	Bill no. 372 dt. 15.11.13 M/S Sharma, Book Seller, Dalhousie	Stationary	3113
7	-do-	Bill No. 457 dt. 01.01.14 M/S Sharma, Book Seller, Dalhousie	Stationary	1592
8	-do-	Bill No. 565 dt. 10.03.14 M/S Sharma, Book Seller, Dalhousie	Stationary	2442

9	-do-	Bill no. 597 Dt. 27.03.14 M/S Sharma, Book Seller, Dalhousie	Stationary	487
				11684

इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया कि अस्थाई प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में करने के उपरान्त उनका भण्डार रजिस्टर से निर्गमन नहीं किया जा रहा था। अतः समय–2 सामग्री के वास्तविक उपयोग के साथ–2 भण्डार रजिस्टर से भी सामग्री की खपत को तदानुसार कम दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा ₹14447/– की सामग्री Hardware का क्रय करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye Laws की मद संख्या 8.1 के अनुसार "No item of hardware shall be purchased without the prior approval of the Chief Administrator." जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर डलहौजी द्वारा मुख्य प्रशासक की पूर्व अनुमति के बिना निम्नविवरणानुसार ₹14447/– का व्यय Hardware एवं फर्नीचर की खरीद हेतु किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अब इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	Bill No. 099 dated 28.08.06 M/S Badyal Infotech & D.Net spac. Chamba	HP 1020 Laser Jet Printer	6928
2	Bill no. 919 Dt. 23.02.06 M/S A.K. Stal industries Chamba	Stal Almirah 78"x40"x20"	4900
3	Bill No. Nil dated 02/08 M/S Sardar Singh & Sons Dalhousie	NOKIA Mobile 1208c IMEI No. 358089016420342	2624
		योग=	**₹14447**

15 Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा आय–व्यय के लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर डलहौजी द्वारा Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में सैन्टर द्वारा पतिवर्ष अर्जित किए अधिक्य इत्यादि तथा सैन्टर के पास उपलब्ध सम्पत्ति एवं सैन्टर की देनदारियों की सही स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः अविलम्ब नियमों के अनुसार Income & Expenditure Statement

एवं Balance Sheet तैयार करनी सुनिश्चित की जाए एवं आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

16 Daily Collection Register का निर्माण न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) डलहौजी द्वारा Daily Collection Register का निर्माण नहीं किया गया था जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर को यथाशीघ्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17 भण्डार रजिस्टर के रख–रखाव के बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम–1971 खण्ड–1 के नियम 15.10 के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति की मदों के लिए अलग–अलग भण्डार रजिस्टर अलग–2 तैयार करने अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye Laws की मद संख्या 9 में भी भण्डार रजिस्टरों के रख–रखाव हेतु इसी प्रकार के नियमों का प्रावधान किया गया है। जाँच में पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर डलहौजी द्वारा इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है एवं सामग्री का इन्द्राज भी भण्डार रजिस्टर में अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा था। उदाहरण स्वरूप भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 17 में Steel Almirah, HP 1020 Laser Printer, एवं Computersed Display Name Board इत्यादि अलग–2 प्रकृति की सामग्री का इन्द्राज एक ही पृष्ठ में कर दिया गया था। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमों के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के समान के लिए अलग–अलग भण्डार रजिस्टर तैयार किए जायें एवं सम्बन्धित रजिस्टर में अलग–2 प्रकृति की प्रत्येक मद के लिए अलग–2 पृष्ठ आंबटित किए जायें एवं क्रय की गई प्रत्येक सामग्री की प्रविष्टियाँ तदानुसार एवं नियमानुसार इनमें करनी सुनिश्चित की जाये।

18 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

नियमानुसार प्रतिवर्ष भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा करवाया जाना अनिवार्य है, परन्तु जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) डलहौजी द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया। अतः इस सन्दर्भ में अब वाँछित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19 रोकड़ बही के रख–रखाव के बारे मेंः–

(क) अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया कि रोकड़ बही का रख रखाव एचपीएफआर–1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 एवं ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye laws के नियम 6 के अनुसार नहीं रखा गया था अर्थात माह के अन्त में प्राप्त की गई आय तथा उसमें

से किए गए कुल व्यय के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक में जमा राशि का विवरण भी नहीं दिया गया है तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान इत्यादि भी नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार रोकड़ बही तैयार करनी सुनिश्चित की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया कि बैंक द्वारा (आर0एल0ए0) डलहौजी के बैंक खाते में ब्याज के रूप में प्रति वर्ष जमा की गई राशियाँ रोकड़ बही में दो से तीन वर्ष के पश्चात जमा की गई थी जोकि नियमों के अनुसार उचित नहीं था। अतः भविष्य में ब्याज की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में यथासमय पर करना सुनिश्चित करें।

20 विविधः—

केन्द्रीय ईकाई चम्बा से समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (RLA) डलहौजी को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) डलहौजी से केन्द्रीय ईकाई चम्बा को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 लघु आपत्ति विवरणीः— लघु आपत्तिया का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। अतः यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

22 निष्कर्षः— लेखां के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 25/2014 खण्ड–1–1828–1832 दिनांक,08.04.2015
शिमला–171009

पंजीकृतः—1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) डलहौजी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2 जिलाधीश चम्बा जिला चम्बा (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–04
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/—
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009